न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 99/2018

1– खिंवराज पुत्र किसनाराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल।

.....वादीगण

बनाम

1– मेहराम पुत्र किसनाराम
2– किसनाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल।
2– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री जीयाराम गोदारा वादीगण की ओर से।
2– श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी सं. 01व 02 की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :28.08.19

संक्षेप वादीगण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा डिडिया खुर्द के खेत खसरा नम्बर 167 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा, खेत खसरा न. 171 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, खेत खसरा नं. 195 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाडा सम्वत 2065 की आखातीज को कर लिया है। बंटवाडा स्कीम निम्न प्रकार हैः–

1. यह है कि वादी सं. 01 खिंवराज के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा डिडिया खुर्द के खेत खसरा नं. 164 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा रखा गया।
2. यह है कि प्रतिवादी सं. 01 मेहराम के हक बंट खातेदारी में वाके मौजा डिडिया खुर्द खेत खसरा नं. 171 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, व खेत खसरा नं. 195 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 02 किसनाराम के हक बंट व कब्जाकाश्त में अत्यधिक वृद्ध होने से व खेती कर पाने में असमर्थ होने से मुतदाविया भूमि में कोई हक बंट नहीं रखा है एवं इनके हक बंट में घर व नगदी रखा गया है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क व ख के अनुसार डिक्री सादिर फरामाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 व 02 की और से वकील श्री शिवकुमार पाराशर ने वकालतनामा मय ईकवाली

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

जवाब पेश किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 व 02 की ओर से इनकी पहचान देकर इन की ओर से राजीनामा पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 के बीच राजीनामा होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नही किये गये। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ताओ वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। सभी पक्षकारो में राजीनामा होने के कारण राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. यह है कि वादी सं. 01 खिंवराज के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके मौजा डिडिया खुर्द के खेत खसरा नं. 164 रकबा 14 बीघा 08 बिस्वा रखा गया।
2. यह है कि प्रतिवादी सं. 01 मेहराम के हक बंट खातेदारी में वाके मौजा डिडिया खुर्द खेत खसरा नं. 171 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, व खेत खसरा नं. 195 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा रखा गया है।
3. प्रतिवादी सं. 02 किसनाराम के हक बंट व कब्जाकाश्त में अत्यधिक वृद्ध होने से व खेती कर पाने में असमर्थ होने से मुतदाविया भूमि में कोई हक बंट नहीं रखा है एवं इनके हक बंट में घर व नगदी रखा गया है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथम)
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी जायल
जायल जिला नागौर

निर्णय आज दिनांक 28.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी(आर.ए.एस.)
जायल जिला नागौर

Scanned by CamScanner